न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट, न्यायालय संख्या-1, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0-3488/2026

पीठासीन अधिकारी- विजय बहादुर यादव, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06392

संजू उर्फ संजू साहनी पुत्र दिलीप कुमार साहनी, निवासी-ग्राम बहरामपुर दक्षिणी, थाना-गीडा, जनपद-गोरखपुर।

-----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

-----विपक्षी

सत्रवाद संख्या-2061/2026

मु0अ0सं0-616/2025

धारा-191(2),115(2),352,351(3) भा०न्या०सं०

थाना-गीडा, जिला- गोरखपुर।

दिनांक-11.08.2026

1. आवेदक/अभियुक्त संजू उर्फ संजू साहनी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वे न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है।

2. संक्षेप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा थाना-गीडा, गोरखपुर पर दिनांक-25.10.2025 को प्राथमिकी हेतु इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वह अनीश से लगभग 3 वर्षों से प्रेम करती है। अनीश द्वारा उसे शादी करने का वादा कर कई बार होटल बादशाह नियर नौसड़ के पास मिलने के लिए बुलाता था तथा वहीं पर उससे शारीरिक सम्बन्ध भी बनाता था। शादी की बात करने पर वह किसी न किसी बहाने टालमटोल कर बात को टाल देता था। शादी करने का दबाव बनाने पर अनीश उससे दूरी बनाने लगा। दिनांक 02.10.2025 को रात 10:00 pm बजे अनीश उसे मिलने आया तथा बोला कि उससे शादी नहीं करेगा तथा उसे मां बहन की भद्दीभद्दी गाली देते हुए भगा दिया। दिनांक 06.10.2025 को 4:30PM बजे लगभग अनीश के घर जाकर अनीश की माता को सारी बात बताने पर अनीश की माता अपने दोनों लड़के संजू व अंशुमन तथा लड़की कुसुम के साथ मिलकर उसे गाली गुप्ता देने लगे। गाली गुप्ता का विरोध करने पर वहां पर अनीश भी आ गया तथा उसके ललकारने पर सभी लोग उसे लात मुक्का से मारने–पीटने लगे। प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की याचना की गई।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना गीडा, गोरखपुर में आवेदक/अभियुक्त संजू उर्फ संजू साहनी सहित कुल पाँच नामजद के विरूद्ध अभियोग मु0अ0सं0 616/2025, अन्तर्गत धारा-69,191(2),115(2),352 बी०एन०एस० पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त संजू उर्फ संजू साहनी के विरुद्ध अंतर्गत धारा-191(2),115(2),352,351(3) भा०न्या०सं० के अपराध हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र प्रेषित किया गया, जिसमें वह न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु तर्क दिया गया है कि वह सर्वथा निर्दोष व निरपराध है। उसके द्वारा ऐसा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है।

माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद यह जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल की जा रही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक का जमानत प्रा०पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुख्य अभियुक्त के समर्थन में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा/पीड़िता को गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने का आपराधिक कृत्य किया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध को अजमानतीय बताते हुए जमानत प्रा०पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट है कि प्रकरण में विवेचनोपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा-191(2),115(2),352,351(3) भा०न्या०सं० की प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया पर उपस्थित होकर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध सात वर्ष से अनधिक दण्ड से दण्डनीय है। अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई अन्य आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है।

7. अतः प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **संजू उर्फ संजू साहनी** की ओर से मु0अ0सं0-616/2025, अंतर्गत धारा-191(2),115(2),352,351(3) भा०न्या०सं०, थाना- गीडा जिला-गोरखपुर, के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0-20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक-11.08.2026

(विजय बहादुर यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
पाक्सो एक्ट,न्यायालय संख्या-1,
गोरखपुर।
जे०ओ० कोड-UP06392

Digitally signed by VIJAY BAHADUR YADAV
Date: 2026.08.11 16:49:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court